>

Title: Need to provide compensation to grape growers of Maharashtra who have incurred losses due to the refusal of their consignment by European countries citing presence of chemical in the crop.

श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव (धुले): महाराष्ट्र के नासिक, सांगली, पूना तथा अन्य जगहों के किसानों के लिए अंगूर की खेती आय का मुख्य साधन है। अंगूर से किसानों को नकद लाभ होने की संभावना होती है। इस नकद लाभ के लिए किसानों को बड़ी मेहनत एवं खर्च करना पड़ता है। इसकी खेती का अधिक ध्यान रखना पड़ता है।

महोदया, इस साल अंगूर उत्पादक किसान बड़ी मुसीबत में है। प्रारंभ में बेमौसमी बारिश ने उसे बेहाल कर दिया। इसके बावजूद किसान ने हार न मानते हुए ऍपेडा तथा राष्ट्रीय अंगूर संशोधन केन्द्र द्वारा बताए गए दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मात्रा में किसानों द्वारा पान तथा अंगूर के विकास के लिए ऍपेडा राष्ट्रीय अंगूर संशोधन केन्द्र द्वारा बताई गई लियोसिन दवाई इस्तेमाल की गई थी।

इस दवाई का इस्तेमाल करने की वजह से अंगूरों में क्लोरमेक्वॉट तत्व 0.05 एम.जी. मात्रा में पाया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए यूरोपियन देशों ने डेढ़ हजार कंटेनर अंगूरों को नकारा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अंगूर उत्पादक किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तथा इस दवाई के इस्तेमाल से किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार की तरफ से या दवाई तैयार करने वाली कंपनियों की तरफ से मुआवजा देने की कृपा करें।